उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्याः 2547 / 26–2–2006
लखनऊः दिनॉकः अक्टूबर 05 ,2006

कार्यालय ज्ञाप

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों के अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की शिक्षा प्रोत्साहन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निजी प्रबंधाधिकरण द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनमें 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित/जनजाति के छात्र शिक्षा ग्रहण करते है, को वित्तीय सहायता के रुप में आवर्ती अनुदान प्रदान किये जाने की योजना पूर्व में संचालित थी। वर्ष 1994 के बाद ऐसे नये प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लिये जाने की कोई नीति नही रहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21–ए के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है , जिसके अनुपालन में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हर गॉव में 1.5 कि0मी0 की दूरी पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय स्थापित है तथा वर्ष 2008 तक 01 कि0मी0 की दूरी तक के सभी आबादी क्षेत्रों को प्राथमिक विद्यालयों से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हेतु पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित और संचालित होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निजी प्रबंधाधिकरण द्वारा संचालित नए प्राथमिक विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिये जाने का औचित्य अब समाप्त हो गया है।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हर गॉव में 1.5 कि0मी0 की दूरी पर परिषदीय विद्यालय स्थापित है तथा वर्ष 2008 तक 1 कि0मी0 की दूरी तक के सभी आबादी क्षेत्रों को प्राथमिक विद्यालयों सें संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान का औचित्य समाप्त हो जाने के कारण भविष्य में निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित नये प्राथमिक विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्ती अनुदान पर लिये जाने की नीति/व्यवस्था समाप्त की जाती है।

डी0सी0 लाखा
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 2547 (1)/26–2–06 समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त/सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

5/10/2006
(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष सचिव।